भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4157
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

मेडिकल वैल्यु ट्रेवल

†4157. डॉ. सुजय विखे पाटीलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री कृष्णपालसिंह यादवः
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमओए और आईटीडीसी ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) में सुधार के लिए किसी कार्रवाई की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष भारत में एमवीटी को 9.9 प्रतिशत तक प्रोत्साहित करने के लिए अनुमानित बजट कितना है; और

(घ) क्या सरकार और आईटीडीसी ने उन स्थानों की कोई सूची बनाई है जिन पर एमवीटी को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी हां, महोदय । आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के संवर्धन के लिए आयुष मंत्रालय (एमओए) और भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने दिनांक 23.01.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

जबकि पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भारत में चिकित्सा और निरोगता पर्यटन के संवर्धन हेतु आईटीडीसी को केंद्रीय एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

जबकि एमओए आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों में एमवीटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है । इस एमओयू के तहत भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार है :

i. एमओए आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों के निरोगता के साथ-साथ चिकित्सीय पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए वीडियो, ब्रोशर के रूप में सूचना शिक्षा संप्रेषण (आईईसी) सामग्री प्रदान करेगा ।

ii. एमओए आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के बारे में आईटीडीसी के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।

iii. एमओए समय समय पर सभी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा ।

iv. एमओए ऐसे पर्यटक परिपथों को भी चिह्नित करेगा जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का संवर्धन करने की अपार संभावनाएं हों ।

v. एमओए नई दिल्ली या आईटीडीसी द्वारा चयनित देशभर के किसी अन्य स्थान पर एक निरोगता केंद्र स्थापित करने के लिए ऐसे ही उपयुक्त संगठन/सेवा विशेषज्ञों को चिह्नित करने में आईटीडीसी की सहायता करेगा ।

vi. आईटीडीसी हील इन इंडिया, आयुर्वेद में एमबीटी, योग और चिकित्सा की अन्य भारतीय पद्धतियों का संवर्धन करेगा और साथ ही पर्यटन मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के परामर्श से भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में नम्बर वन गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा ।

vii. आईटीडीसी ''ज्ञान पर्यटन'' के अंतर्गत पर्यटक गंतव्यों में चिकित्सा की भारतीय पद्धति से संबंधित ऐतिहासिक विरासत साइटों (आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित) को शामिल कर सकता है और पर्यटकों के लिए उपयोगी फिल्में/साहित्य आदि तैयार कर सकता है ।

viii. आईटीडीसी द्वारा स्वयं उचित समझे गए माध्यमों से आईटीडीसी द्वारा प्रचालित होटलों में आयुर्वेद और योगा केंद्र स्थापित करने के अवसर तलाश करेगा।

ix. आईटीडीसी विदेशों में स्थित आयुष सूचना सेल के सहयोग से जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा जिसकी लागत दोनों संगठनों द्वारा आपस में साझा की जाएगी ।

x. लिखित में पारस्परिक सहमति से कोई अन्य गतिविधि ।

(ख) : एमओए और आईटीडीसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एमओए ऐसे पर्यटक परिपथों को चिह्नित करेगा जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक पद्धतियों

में एमवीटी को प्रोत्साहित करने के अपार अवसर हों । आईटीडीसी हील इन इंडिया आयुर्वेद में एमबीटी, योग और चिकित्सा की अन्य भारतीय पद्धतियों का संवर्धन करेगा और साथ ही पर्यटन मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के परामर्श से भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में नम्बर वन गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा । अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त आईटीडीसी द्वारा प्रचालित अपने होटलों में आयुर्वेदिक और योग केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है ।

(ग) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से 12 चिह्नित चैंपियन सेवा क्षेत्रों का संवर्धन करने और इनकी क्षमता का पता लगाने के लिए इन पर विशेष ध्यान देने हेतु 28 फरवरी, 2018 को चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान किया । व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने अन्य बातों के साथ साथ ‘‘मेडिकल वैल्यू ट्रेवल’’ योजना के लिए आयुष मंत्रालय के प्रस्ताव (चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत) को दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को अनुमोदन दिया ताकि निम्नलिखित को प्रोत्साहित किया जा सके :

क. आयुष हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी डे केयर हॉस्पिटल की स्थापना; और
ख. वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए 769 करोड़ रु. के वितीय परिव्यय से आयुष क्षेत्र में कौशल विकास और आयुष ग्रिड की स्थापना ।

(घ) : वर्तमान में इन स्थानों की सूची तैयार नहीं की गई है । आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन एक सतत गतिविधि है । अतः भविष्य में आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी जब कभी आवश्यक हो किसी भी इकाई से अपेक्षित सहयोग लेंगे ।

*****